कार्यालय प्राचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर

क्रमांक 312 दिनांक 3-2-2020

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान जयपुर

विषय– इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उडान केन्द्र योजना की कियान्विति की रिपोर्ट

संदर्भ – आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर CCE/ISDC/IPSUK/2019/2890 Dated 23.01.2020

महोदया जी,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि महाविद्यालय में इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उडान केन्द्र योजना के अन्तर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

समन्वयक
इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उडान केन्द्र योजना

प्राचार्य
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,
उदयपुर

प्राचार्य
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय
उदयपुर (राज.)

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,
उदयपुर (राज.)

इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उडान केन्द्र योजना

सत्र 2019–20

क्रियान्विति रिपोर्ट

डॉ. निधि श्रीवास्तव
प्राचार्य

डॉ. अनिता कावड़िया
समन्वयक

डॉ. विनिता कोठारी
सहसमन्वयक

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर राज.

इन्दिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान केन्द्र

पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहना है कि लोगों को जगाने के लिये महिलाओं का जाग्रत होना जरूरी है एक बार वो जब अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये समाज में उनके अधिकारों एवं मूल्यों का हन्न करने वाले उन सभी विचारों, जैसे–दहेज प्रथा अशिक्षा, यौन हिंसा भ्रूण हत्या महिलाओं के प्रति घरेलू–हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति मानव तस्करी लैंगिक भेदभाव आदि राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अन्तर लाते है, जो देश को पीछे ढकेलता है। भारत के संविधान मे उल्लेखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये महिलाओं को जागरूक व सशक्त बनाना आवश्यक है जिससें इस तरह की बुराइयों को मिटाया जा सकें।

महिला सशक्तिकरण के इस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये महिलाओं को शारिरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है उनके खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगावं तथा हिंसा आदि दुष्कर्मों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाये गये परंतु आज भी महिलाएँ इन सब बुराइयों की शिकार हो रही है। इसलिए हम वास्तविक विकास में बहुत पिछड़े है। अतः महिलाओं के अधिकारों को अवगत कराना और उनके भविष्य को बेहतर बनाना हमारी सरकार का स्वप्न है।

महिला सशक्तिकरण के इस स्वप्न को साकार करने हेतु, राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की संकल्पना के अनुसार आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पत्र क्रमांक CCE / ISDC / IPSUC / 2019 / 1422 दिनांक 22.10.2019 की अनुपालना में छात्राओं को स्व–सुरक्षा, महिला रक्षा एवं अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को राज्य के दस चयनित केन्द्रों में शामिल किया गया। इस केन्द्र की समन्वयक डॉ. अनिता कावड़िया तथा सह– समन्वयक डॉ. विनिता कोठारी को बनाया गया। जिसका उद्देश्य महाविद्यालय में भयमुक्त एवं स्वस्थ, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महिला सुरक्षा एवं अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न पर संवाद कार्यक्रम, मार्गदर्शन, रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किये गये।

महाविद्यालय में दिनांक 4.11.2019 को प्राचार्य के आदेशानुसार केन्द्र की स्थापना की गई। दिनांक 18.11.2019 तक छात्राओं का पंजीकरण किया गया।

प्राचार्य डॉ. निधि श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इन्दिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान केन्द्र द्वारा सत्र 2019–20 में विविध प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न कराये गये। दिनांक 19.11.2019 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की जयन्ती पर केन्द्र के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमान ओ.पी बुनकर, ए.डी.एम जिला प्रशासन थे। मुख्य अतिथि, ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को सक्षम और सशक्त भारत के निर्माण में आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की उपलब्धियों एवं जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि आज के दौर में स्त्री किसी भी पुरूष से कम नहीं है, वह हर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये, हर चुनौतियों का बड़ी दृढ़ता से सामना कर रही है। नारी शक्ति स्वरूपा है और हर संघर्ष में हार नहीं मानने वाली है, परन्तु उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का अहसास नहीं है जिसके कारण आज वह दुर्व्यवहार एवं दमन का शिकार हो रही हैं, अतः इस कार्यक्रम के माध्यम से वह एक सशक्तः जागरूक एवं साहसिक महिला बनेगी जो समाज के निर्माण में महती भूमिका निभायेंगी।

कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. मंजु कंछल ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में आयुक्तालय के महिला सशक्तिकरण के प्रयास की सराहना की और कहा कि इस केन्द्र से जुड़कर छात्राएँ जागरूक व सशक्त बनेगी और आधुनिक समाज में खुले दिमाग से अपने सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिये अग्रसर रहेंगी।

RACE, DRAC नवाचार प्रभारी डॉ. राकेश दशोरा, सह आचार्य वाणिज्य ने सरकार के इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्राएं इससे जुड़कर अपने अधिकारों से अवगत होकर न केवल घरेलू व पारिवारिक जिम्मेदारियों बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभायेंगी और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगी।

कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनिता कावड़िया ने अतिथियों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के उद्धेश्यों और इसके अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रुप रेखा प्रस्तुत की। डॉ. विनीता कोठारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किये गये कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है–

1. रोजगारोन्मुख शिक्षा केन्द्रित प्रषिक्षण–

छात्राओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये–

1. दिनांक 28.11.2019 को 'स्वयं को पहचानों' (Discover Yourself) विषय पर दो दिवसीय ''दिशा'' सेमीनार आयोजित किया गया। जिसमें छात्राओं को ''मैं कौन है'' Swot, लक्ष्य निर्धारण, Soft Skills जो उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार प्राप्ति में सहायक हो सकती है। विषय पर श्रीमान परिचय शर्मा एवं निदेशक अचीवर्स संस्थान के श्री अमित माथुर के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने महाविद्यालय शिक्षण के पश्चात कॉर्पोरेट में जाने के लिए आवश्यक अभिवृति और सोचने की क्षमता, माइण्ड सेट और टाइम मैनेजमेन्ट विषय पर भी प्रकाश डाला।
2. दिनांक 29.11.2019– कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौशल, Body Language और संचार एटिकेट्स विषय पर व्यवहारिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने Interview की तैयारी के लिए टिप्स दिये और कहा कि जिस क्षेत्र या कम्पनी में वे अप्लाई कर रहे है, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उन्होनें Resume बनाने के लिए आवश्यक बिन्दुओं को बताया और मोक इन्टरव्यू करवाये।
3. 25.01.2020– डॉ. श्रुति टण्डन ने कार्यक्रम संचालन के लिए आवश्यक कौशल पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होने कहा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता में संचालन कर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे ना सिर्फ कार्यक्रम का स्वरुप निखारना होता है, बल्कि श्रोताओं को भी बांधना होता है इसीलिए कार्यक्रम संचालन कर्ता को विषय की सम्पूर्ण जानकारी हो तथा उसके पास अपनी बात के समर्थन में छोटी–छोटी क़हानियों, कहावतों की भी तैयारी होनी चाहिए। संचालन कर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास से पूर्ण रखें ताकि उसकी बात का सामने वाले पर प्रभाव सकारात्मक रहे। उसे अपने उच्चारण पर, पहनावे पर भी जोर देना आवश्यक बताया।

4. दिनांक 31.01.2020–डॉ. विवेक शर्मा प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर ने अपने उद्‌बोधन में छात्राओं को चतुर, होशियार, बुद्धिमान, सतर्क और अन्धा अनुकरण से बचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु मार्गदर्शन दिया। उन्होंने छात्राओं से अपने सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु प्रतिदिन अखबार पढने के लिए प्रेरित किया एवं विषय को गहनता से पढने को कहा। उन्होंने छात्राओं को उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करते हुए कहा कि छत्राएं छोटे–छोटे कौशल प्रशिक्षण जैसे ब्यूटी पार्लर, बेकिंग, मसाला उद्योग आदि की जानकारी प्राप्त कर अपने स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकती हैं उन्होंने इस हेतु आवश्यक तैयारी ऋण आदि की भी जानकारी प्रदान की।
5. दिनांक 31.01.2020 –डॉ. शशि सांचीहर कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य, अर्थशास्त्र ने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में छात्राओं को आर्थिक क्षेत्र में अपने योगदान देने हेतु स्वरोजगार एवं गृह उद्योग प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर विशेष रुप से आयुक्तालय द्वारा निर्देशित और महाविद्यालय द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

2. आत्मरक्षा / स्वास्थ्य ज्ञान

इस विषय के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम किये गये –

1. दिनांक 25.01.2020–डॉ. राकेश दशोरा, द्वारा योगाभ्यास एवं ध्यान प्रशिक्षण प्रदान किया उन्होनें तनाव मुक्त रहने के लिए विभिन्न योगमुद्राओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार का प्रदर्शन किया।
2. दिनांक 27.01.2020–डॉ. मोनिका डूंगरवाल सह–आचार्य, गृह विज्ञान विभाग, राज. मीरा कन्या महाविद्यालय द्वारा "किशोरावस्था में संतुलित आहार लेने की जानकारी प्रदान करी। उन्होनें कहा कि अधिकांश छात्राएं कुपोषण विशेष रुप से रक्तहीनता से पीड़ित है अतः अपने आहार में लौहयुक्त भोज्य पदार्थ जैसे पत्तेदार सब्जियां, लाल–पीले फल आदि के सेवन को बढाएं।
3. दिनांक 27.01.2020– डॉ. दिव्या हिरन सह–आचार्य, गृह विज्ञान विभाग ने घरों में कार्य करने के लिए 'कार्य सरलीकरण विषय' पर जानकारी प्रदान की। उन्होनें श्रम एवं उर्जा बचत करने हेतु विभिन्न उपकरणों के उपयोग के बारे में बताया और कार्य करने हेतु सही पोश्चर (Posture) से अवगत करया।
4. दिनांक 29.01.2020– रेन्शी राजकुमार मेनारिया ने सेन्सई रा एकेडमी ऑफ सेल्स डिफेंस एंड फिटनेस इण्डिया ने महाविद्यालय सभागार में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होनें छात्रा स्व सुरक्षा की मुद्राओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। आत्म सुरक्षा की तकनीकी जानकारी देते हुए कहा कि दुर्घटना कभी भी बोलकर नहीं आती है और अनचाही परिस्थितियों से बचने के लिए वे आत्मरक्षा के विभिन्न तकनीकों को अपनाएं। इस अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली, जुड़ो की ब्लेक बेल्ट खिलाड़ी रितिका शर्मा ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकी का व्यावहारिक प्रदर्शन किया।

3. महिला अधिकार एवं बाल विवाह रोकथाम –दिनांक 28.01.2020

इस विषय पर निम्नलिखित व्याख्यान आयोजित किये गये–

कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉ. मंजु कंछल ने प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए आज के युग से ज्यादा महिलाएं प्राचीन काल में स्वतन्त्र थीं और उन्हें स्वयं का वर चुनने का अधिकार था उस समय महिलाएं शिक्षित थी और पुरुषों के समान विचार गोष्ठियों में भाग लेती थीं।

1. डॉ. श्याम सुन्दर कुमावत, सह आचार्य, समाजशास्त्र, राज. मीरा कन्या महाविद्यालय ने बाल विवाह रोकथाम विषय पर जानकारी प्रदान करते हुए उन्होनें कहा कि बाल–विवाह एक सामाजिक कुरीति है, सरकार द्वार कड़े कानून बनाये जाने के बावजूद भी यह राजस्थान में विशेष रुप से प्रचलित है। उन्होनें इसकी रोकथाम हेतु महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को आवश्यक बताया।
2. डॉ. आभा गुप्ता, सह आचार्य, गृह विज्ञान, राज. मीरा कन्या महाविद्यालय ने ''वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि यदि ग्रामीण महिलाएं आज भी विषम परिस्थितियों में जी रहीं हैं। उन्होंने सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास की विविध सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, स्वयं सहायता समूह, इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, उज्ज्वला योजना, आदि जानकारी प्रदान की।
3. डॉ. श्वेता व्यास, सह आचार्य, गृह विज्ञान, राज. मीरा कन्या महाविद्यालय ने लैंगिक संवेदीकरण के बारे में बताया कि जेण्डर को हम और आप निर्धारित करते है जब कि सेक्स प्रकृति से निर्धारित होता है। लैंगिक संवेदीकरण से तात्पर्य है कि समाज के सभी अंग समान रुप से विकसित हो और प्रत्येक की कठिनाईयों को संवेदनशीलता से दूर किया जाये। इसक अनुसार समाज में दबे हुए वर्ग यानि स्त्रीयों को समानता के अधिकार दिलवाया जाये और उनका बराबर सम्मान किया जाए साथ ही उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रुप से सक्षम बनाये और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए जागरुक बनें। अगर समाज बिना भेदभाव किये पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी समान अवसर दे तो देश को नई उंचाईयों तक ले जा सकते है।
4. डॉ. भवशेखर, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राज. मीरा कन्या महाविद्यालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, महिलाओं के विभिन्न अधिकारों व कत्तव्यों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि महिलाओं को कमजोर वर्ग मानते हुए विशेष अधिकार प्रदान किये गये है, उन्होंने मानवाधिकारों के बारे में भी जानकारी दी।
5. जिला निर्वाचन केन्द्र, उदयपुर के स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महाविद्यालय की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली छात्राओं को मतदान पहचान पत्र बनाने की जानकारी प्रदान की इस अवसर पर उपस्थित संकाय सदस्य व छात्राओं को मताधिकार उपयोग करने की शपथ दिलाई।

दिनांक 30.01.2020 को **शहीद दिवस पर** महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजली अर्पित की गई एवं बसन्त पंचमी पर सरस्वती पूजन किया गया। इस दिन इस केन्द्र के द्वारा **कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकथाम एवं पोक्सो एक्ट** पर परिचर्चा आयोजित की गई।

एडवोकेट दुर्गा सिंह शक्तावत ने महिलाओं व बच्चों पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी जानकारी प्रदान की। उन्होनें कानून को समझाने हेतु वट वृक्ष की परिकल्पना करते हुए कहा कि उस की जड़े समाज के रुप में है, तना हमारा संविधान, और शाखाएं–संविधान में वर्णित विभिन्न अनुच्छेद एवं अधिनियम है और उन शाखाओं पर दो खिले हुए फूल है जो प्रोसिजर ऑफ लॉ है जिन्हें क्रीमिनल और सिविल कानून के नाम से जाना जाता है। कानून हमारी रक्षा के लिए है, समाज की आवश्यकता के अनुसार और अनुभवों से कानून प्रादुर्भाव होता है अतः जैसे–जैसे समाज सभ्य होता है कानूनों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता है। उन्होनें महिलाओं पर होने वाले विभिन्न अपराधों के विषय में जानकारी देते हुए दो कानून घरेलू हिंसा अधिनियम और पोक्सो एक्ट पर विस्तृत जानकाारी प्रदान की।

घरेलू हिसां अधिनियम के संदर्भ में उन्होनें कहा कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आती है उनमें ज्यादातर घरेलू हिंसा की होती है। किसी भी महिला के साथ घर की चार दिवारी के अन्दर होने वाली किसी भी हिंसा, मारपीट उत्पीड़न आदि मामले घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आते है। इस अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 को देश में लागू किया गया। यह भारत का पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। पीड़ित महिला किसी भी अदालत में जज के समक्ष स्वयं या वकील सेवाउ प्रदान करने वाली संस्था या संरक्षण अधिकारी की मदद से अपनी सुरक्षा के लिए बचावकारी आदेश ले सकती हैं। इसका फैसला 60 दिन के अन्दर आना अनिवार्य है।

पोक्सो एक्ट के सन्दर्भ में उन्होनें बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम बालक व बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के लिए इस एक्ट का प्रादुर्भाव किया गया है।

इस विधेयक का उद्धेश्य बाल यौवन शोषण के मामलों की जांच कर उचित व कड़ी सजा की व्यवस्था करना है। यह अधिनियम, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से संरक्षण का प्रयास करता है। इस नये कानून के तहत अपराधों को अधिकतम उम्र कैद के साथ मौत की सजा तक का प्रावधान है एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार POCSO न्यायालयों की स्थापना की गई है इन विशेष अदालतों में उत्पीड़न मामलों की 60 दिनों के अन्दर सुनवाई करनाअ अनिवार्य है।

एडवोकेट अदिति गौड़ ने 31.01.2020 को बाल एवं महिला तस्करी एवं इसके विरुद्ध कानून 'चाइल्ड एवं वीमेन ट्रेफिकिंग एक्ट' के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि मानव में तस्करी एक मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता बन गई है, जो मानवाधिकार का हनन है। यह तस्करी बाल श्रम बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, अपहरण और वैश्यावृत्ति से निकटता से सम्बन्धित है।

उन्होंने इस सन्दर्भ में कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने अन्त में छात्राओं से पूछे गये प्रश्नों का व्यक्तिशः समस्याओं के बारे में परिचर्चा कर उन्हें समाधान बताया बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभायेंगी और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान प्रदान करेगी।

इन सभी कार्यक्रमों में छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम से लाभान्वित हुई।

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन
छुने को नीला आसमान अभी बाकी है।
अभी तो बदली है सोच हमने
बदलना कारवां अभी बाकी है।

समन्वयक

सह–समन्वयक

प्राचार्य

प्राचार्य
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय
उदयपुर (राज.)

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर राज.
इन्दिरा प्रियदर्षनी स्वर्णिम उड़ान केन्द्र
संक्षिप्त विवरण

उद्घाटन एवं रोजगारोन्मुख षिक्षा केन्द्रित प्रषिक्षण

S.No.	Date	Programmer	Speaker	Participated
1.	04-11-2019 to 18-11-2019	पंजीकरण	-	100
2.	19.11.2019	उद्घाटन समारोह व	CHIEF GUEST O.P. BUNKER , A.D.M (Administration)	100
3.	28.11.2019	Discovering yourself	Parichay Sharma	33
4.	29.11.2019	Requirement of corporate sector Interview +Resume+Preparation	Sri. Amit Mathur	33
5.	25.1.2020	कार्यकम संचालन के लिए आवश्यक कौशल	Dr. Shruti Tandon	21
6.	31.01.2020	उघमिता एवं स्वरोजगार और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी	श्री विवेक शर्मा	33
7.	31.01.2020	Skills progarmmes By आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा	Dr. Shashi Sanchihar	33

आत्म रक्षा एवं स्वास्थ्य

S.No.	Date	Programmer	Speaker	Participated
1	25.01.2020	योगाभ्यास एवं ध्यान प्रशिक्षण	डॉ. राकेश दशोरा	21
2	27.01.2020	किशोरावस्था में संतुलित आहार	डॉ. मोनिका डूंगरवाल	23
3	27.01.2020	कार्य सरलीकरण	डॉ. दिव्या हिरण	28
4	26.01.2020	रेन्शी राजकुमार मेनारिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण	राजकुमार मेनारिया	35
5	29.01.2020	रितिका शर्मा आत्मरक्षा	राजकुमार मेनारिया	35

महिला अधिकार एवं बाल विवाह रोकथाम

S.No.	Date	Programmer	Speaker	Participated
1	28.01.2020	बलविवाह रोकथाम	डॉ. श्याम सुन्दर	14
2	28.01.2020	ग्रामीण महिला विकास योजनांए	डॉ. आभा गुप्ता	14
3	28.01.2020	लैगिक समानता एवं जागरूकता	डॉ.श्वेता व्यास	14
4	28.01.2020	संविधान प्रदत महिला अधिकार एवं मानवाधिकार	डॉ. भवशेखर	14
5	28.01.2020	प्रचीन भारत में महिलाओं की स्थिति	डॉ. मंजु कंछल	14

कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकथाम एवं पोक्सोएक्ट

S.No.	Date	Programmer	Speaker	Participated
1	31.01.2020	यौन शोषण घरेलू हिंसा एवं पोक्सोएक्ट	दुर्गासिंह शक्तावत	33
2	31.01.2020	बाल एवं महिला तस्करी एवं इसके विरूद्व कानून	अदिति मोड	33

उदघाटन समारोह **19.11.2019**

रोजगारोन्मुख शिक्षा केन्द्रित प्रशिक्षण

आत्म रक्षा एवं स्वास्थ्य

महिला अधिकार एवं बाल विवाह

कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकथाम एवं पोक्सोएक्ट